उत्तर प्रदेश शासन
आबकारी अनुभाग-2
संख्या-06/2017-432 ई-2/तेरह-2017-233/2000टी0सी0
लखनऊ::दिनांक 10 मार्च,2017

कार्यालय-आदेश

आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश में मदिरा की समस्त प्रकार की धारिता एवं श्रेणी की बोतलों पर सुरक्षा होलोग्राम लगाने की व्यवस्था है। सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक के चयन/नियुक्ति के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश मिश्र, इलाहाबाद का दिनांक रहित शिकायती पत्र शासन में दिनांक 19-12-2014 को प्राप्त हुआ था। इस शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं और प्रकरण की जांच सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, मा0 उच्च न्यायालय से कराने का निर्णय करते हुये कार्यालय आदेश संख्या-47/2621ई-2/तेरह-2014-233/2000, दि0 30-12-2014 द्वारा जांच संस्थित की गयी और श्री संजय मिश्र, मा0 न्यायमूर्ति (से0नि0) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को जांच अधिकारी नामित किया गया था। उनके द्वारा लोक आयुक्त पद पर नियुक्त हो जाने के कारण किसी अन्य को जांच अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया। तद्क्रम में कार्यालय आदेश संख्या-08/2016/410 ई-2/तेरह-2016-233/2000टीसी, दिनांक 19 फरवरी,2016 द्वारा श्री खेमकरन, मा0 न्यायमूर्ति (से0नि0) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को जांच अधिकारी नामित किया गया। तदुपरान्त कार्यालय आदेश संख्या-19/2016-561 ई-2/तेरह-2016-233/2000टीसी, दिनांक 31 मार्च,2016 द्वारा श्री ओंकारेश्वर भट्ट, मा0 न्यायमूर्ति (से0नि0) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी द्वारा शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं तथा मामले की जांच सम्पन्न कर पत्र संख्या-62/हो0आ0/जांच/2016, दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

28-2-2017 द्वारा जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी है। जांच आख्या में जांच अधिकारी द्वारा प्रत्येक सम्बन्धित पक्ष एवं शिकायती पत्र में सन्दर्भित अधिकारियों के बयान लेने, परीक्षण का अवसर देने एवं समस्त अभिलेखों का परीशीलन कर जांच करने का सविस्तार उल्लेख करते हुये निम्नवत् निष्कर्ष के साथ जांच सम्पन्न की गयी है:-

"साक्ष्यों का अवलोकन करने, उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेखों पर विचार करने व उनका परिशीलन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि शिकायतकर्ता श्री सत्य प्रकाश मिश्र द्वारा लगाये गये आरोपों का समर्थन करने के लिये कोई विश्वसनीय सामग्री रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। साक्ष्यों के अवलोकन से यह भी सिद्ध होता है कि वर्ष 2012 में होलोग्राम आपूर्तक के चयन की कार्यवाही पारदर्शी, निष्पक्ष एवं नियमानुसार पूर्ण की गई है। यह भी सिद्ध होता है कि उत्तर प्रदेश में होलोग्राम के फीचर्स अन्य प्रान्तों के हालोग्राम के फीचर्स से बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं इसलिये उनका रेट अधिक हैं। इस प्रकरण में पहले ही श्री विनय मिश्र की शिकायत पर प्रमुख सचिव, न्याय की अध्यक्षता में जांच कराई जा चुकी है। उस जांच में भी शिकायकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये थे। इसके होने का परिणाम यह होगा कि वह निर्णय पूर्व न्याय की श्रेणी में आयेगा तथा इस जांच द्वारा उस पर टिप्पणी करना न्यायोचित नहीं होगा। अत: उसे उसी रूप में स्वीकार करना होगा। स्वतंत्र रूप से विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि होलोग्राम आपूर्ति के सम्बन्ध में अनियमितता बरतने, अधिकारियों और कर्मचारियों का भ्रष्टाचार में लिप्त होकर गठजोड करने अथवा इस प्रक्रिया में शासन को क्षति पहुंचाने के आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं। अत: यह रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाती है।"

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- जांच अधिकारी श्री ओंकारेश्वर भट्ट, मा0 न्यायमूर्ति (से0नि0) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक की नियुक्ति/चयन के सम्बन्ध में दिये गये श्री सत्य प्रकाश मिश्र, जनपद इलाहाबाद के दिनांक रहित शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं एवं मामले की समग्र जांचोपरान्त प्रस्तुत जांच आख्या दिनांक 28-2-2017 को सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकार करते हुये जांच अधिकारी के निष्कर्ष के आधार पर एतद्द्वारा प्रश्नगत प्रकरण एवं उसके सम्बन्ध में कार्यालय आदेश दिनांक 30-12-2014 द्वारा संस्थित जांच समाप्त की जाती है।

दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-06/2017-432(1) ई-2/तेरह-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) जांच अधिकारी, श्री ओंकारेश्वर भट्ट, मा0 न्यायमूर्ति (से0नि0) मा0 उच्च न्यायालय, आवास संख्या- 4/3 बी0, ड्रमण्ड रोड, इलाहाबाद।
(2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4) शिकायतकर्ता श्री सत्य प्रकाश मिश्र, 5 एच/7, कूपर रोड, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
(5) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।